न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	संजय कुमार गौरा, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	54/2023
दायर दिनांक	:	26.10.2023
निर्णय दिनांक	:	26.12.2023

उनवान

रामप्रताप पुत्र ग्यारसा जाति गुर्जर, निवासी ग्राम खुरी कलां तहसील दौसा जिला दौसा
प्रार्थी

वनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :—

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम खुरी कलां तहसील दौसा जिला दौसा की राजस्व सीमा में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1327 लगायत 1333, खसरा नम्बर 1347 लगायत 1353, खसरा नम्बर 1355 लगायत 1357 कुल किता 17 कुल रकवा 1.82 है. (प्रार्थी का हिस्सा 5/86) तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1074 लगायत 1080, खसरा नम्बर 1082 कुल किता 8 रकवा 0.88 है. (प्रार्थी का हिस्सा 1/16) तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 330 लगायत 352 कुल किता 23 कुल रकवा 2.11 है. (प्रार्थी का हिस्सा 1/16) तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1112, खसरा नम्बर 1115, खसरा नम्बर 1124, खसरा नम्बर 1245, खसरा नम्बर 1246, खसरा नम्बर 1248, खसरा नम्बर 359, खसरा नम्बर 360 कुल किता 8 रकवा 1.50 है. (प्रार्थी का हिस्सा 1/2) तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 106 लगायत 124, खसरा नम्बर 128 लगायत 141, खसरा नम्बर 363 लगायत 374 कुल किता 44 कुल रकवा 6.11 है. (प्रार्थी का हिस्सा 1/7) तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 379 रकवा 0.06 है. (प्रार्थी का हिस्सा 1/24) तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1223 रकवा 0.02 है. (प्रार्थी का हिस्सा 1/8) तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 1081 रकवा 0.02 है. (1/16) तथा खसरा नम्बर 353 रकवा 0.03 है. (प्रार्थी का हिस्सा 1/16) स्थित है। उपरोक्त भूमि के खातेदार प्रार्थी का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से रामप्रताप की जगह प्रतावा दर्ज कर दिया गया क्योंकि प्रार्थी को घर में प्रतावा भी कहते थे। इसलिए राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रताबा दर्ज कर दिया गया जवकि प्रार्थी का नाम रामप्रताप है जो प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजों आधार कार्ड, जन आधार, पहचान पत्र, वैंक पासवुक आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामप्रताप ही दर्ज है। ग्राम पंचायत खुरी कलां ने भी प्रार्थी का नाम रामप्रताप होने का प्रमाण पत्र दिनांक दिनांक 30.08.2022 को जारी किया है। प्रार्थी अपना नाम प्रतावा से रामप्रताप कराने के लिए पटवारी हल्का से मिला तो पटवारी हल्का ने वताया तुम्हारा नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत हो रहा है जिसमें मैं सही नहीं कर सकता तुम्हें कोर्ट में जाकर सही करवाना पडेगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर ग्राम खुरी कलां तहसील दौसा जिला दौसा की राजस्व सीमा में स्थित प्रार्थना पत्र में वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज0)

भूमि की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम प्रताबा पुत्र ग्यारसा के स्थान पर रामप्रताप पुत्र ग्यारसा दर्ज करने के आदेश तहसीलदार दौसा को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार दौसा से जवाब चाहा गया। तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि मुताबिक रिकॉर्ड ग्राम खुरी कलां प्रताबा पुत्र ग्यारसा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है तथा रामप्रताप व प्रताबा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं।

प्रकरण में बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ग्राम खुरी कलां तहसील दौसा स्थित अपनी खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम प्रताबा पुत्र ग्यारसा के स्थान पर रामप्रताप पुत्र ग्यारसा अंकित करवाना चाहता है। तहसीलदार दौसा ने भी अपनी रिपोर्ट में रामप्रताप व प्रताबा दोनों एक ही व्यक्ति का नाम होने का कथन किया है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजात् तथा जन–आधार कार्ड, आधार कार्ड, निर्वाचक पहचान पत्र में भी प्रार्थी का नाम रामप्रताप दर्ज है। इसके अतिरिक्त पत्रावली में संलग्न ग्राम पंचायत खुरी कलां के पत्र दिनांक 30. .2023 से भी रामप्रताप व प्रताबा दोनों एक ही व्यक्ति के नाम होने की पुष्टि होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम खुरी कलां तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, , 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 1112, 1115, 1124, 5, 1246, 1248, 359, 360, 1223, 379, 353, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 3, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1355, 1356, 1357, 1081, 1074, 5, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082 से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम बा पुत्र ग्यारसा के स्थान पर रामप्रताप पुत्र ग्यारसा दर्ज किया जावे। तहसीलदार दौसा तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की र एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)